भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3021

उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2025

बीमा ग्राम योजना

3021. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे :
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके :
श्री अमर शरदराव काले :
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमा ग्राम योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में कुल कितने गांवों की पहचान की गई है और इन गांवों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) उक्त गांवों के कितने परिवार कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस योजना को अन्य गांवों में विस्तारित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी के बीच डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और आरपीएलआई के लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) बीमा ग्राम योजना को लागू करने में विशेषकर ग्रामीण परिवारों की प्रीमियम भुगतान क्षमता के संबंध में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं;

(च) इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्न आय वाले परिवारों को प्रदान की जाने वाली कोई वित्तीय सहायता या लचीले भुगतान विकल्प शामिल हैं;

(छ) क्या प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण पॉलिसी लैप्स होने का कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) पीएलआई और आरपीएलआई योजनाओं में नामांकन दरों पर इन प्रचार गतिविधियों के प्रभाव का आकलन क्या है;

(झ) योजना की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख प्रदर्शन संकेतक क्या हैं; और

(ञ) किए गए मूल्यांकनों की आवृत्ति और हाल के मूल्यांकनों से कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है और योजना की पहुंच और दक्षता में सुधार के लिए कौन-से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) डाक विभाग की पहल 'बीमा ग्राम योजना' का उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसके तहत, चिह्नित गांवों में न्यूनतम 100 परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) पॉलिसी के अंतर्गत लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में कुल 3,000 गांवों को चिह्नित किया गया है और इस योजना की शुरुआत के बाद से बीमा ग्राम योजना के अंतर्गत 1,366 गांवों को कवर किया गया है।

(ख) उक्त गांवों में कुल 1,36,767 परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) पॉलिसी प्रदान कर स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है।

(ग) बीमा ग्राम योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए डाक विभाग की एक पहल है। बीमा ग्राम योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक गांवों को कवर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) विभाग, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गांवों में विशेष अभियान जैसे डाक चौपाल और पीएलआई/आरपीएलआई मेले आयोजित कर रहा है।

(ङ) और (च) आरपीएलआई की बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम कम है और यह, ग्रामीण आबादी की भुगतान क्षमता के अनुसार वहनीय है। अत: कोई भी प्रमुख चुनौती सामने नहीं आई है। पॉलिसीधारकों के लिए प्रीमियम भुगतान के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं जैसे मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक।

(छ) लैप्स हो चुकी पॉलिसी संबंधी आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं क्योंकि पॉलिसीधारकों के पास समय-समय पर पॉलिसी को रिवाइव करने का विकल्प होता है। हालांकि, लैप्स हो चुकी पॉलिसियों को रिवाइव करने के लिए निर्धारित शुल्क पर छूट के साथ विशेष रिवाइवल अभियान चलाए जाते हैं। निर्धारित शुल्क पर छूट के साथ एक ऐसा विशेष रिवाइवल अभियान 01.03.2025 से 31.05.2025 तक चलाया जा रहा है।

(ज) वित्त वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 तक) के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समदृश अवधि की तुलना में महाराष्ट्र में पीएलआई के प्रीमियम संग्रहण में 15.81% की वृद्धि और आरपीएलआई के प्रीमियम संग्रहण में 23.46% की वृद्धि हुई है।

(झ) पीएलआई और आरपीएलआई के अंतर्गत प्रीमियम संग्रहण में वृद्धि, स्कीम की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है।

(ञ) सर्कल कार्यालय स्तर और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हर महीने मूल्यांकन किए जाते हैं। बीमा के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की प्रतिक्रिया व्यापक रूप से कृषि के वार्षिक प्रतिलाभों/आउटकम पर निर्भर करती है। डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के लाभों के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष अभियान जैसे डाक चौपाल और पीएलआई/आरपीएलआई मेले आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो शो, पोस्टर, बैनर और पैम्फलेट आदि के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जाता है।

*****